INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)

e-ISSN : 2583-1062

Impact Factor: 5.725

www.ijprems.com
editor@ijprems.com

Vol. 04, Issue 05, May 2024, pp: 814-817

समावेशी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

ओम प्रकाश चौरसिया[1], डॉ. रश्मि जैन[2]

[1]शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र), डॉक्टर हरीसिंह गौर वि.वि.सागर म.प्र.

[2]सहायक प्राध्यापक (शिक्षाशास्त्र), डॉक्टर हरीसिंह गौर वि.वि.सागर म.प्र.

DOI: https://www.doi.org/10.58257/IJPREMS34166

सारांश-

आज वर्तमान में विकास की संकल्पना और भी अधिक विस्तृत हो गई है। मात्र विकास के स्थान पर संपोषणीय विकास की अवधारणा वृहद क्षेत्र में अपनाई जा रही है। ऐसा ही एक क्षेत्र शिक्षा जगत भी है जो मानव को मानव बनाने और राष्ट्र को प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर बनाने का कार्य करता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी संपूर्ण विकास की अवधारणा समावेशी शिक्षा के रूप में उभर कर समझ आयी है जिसमें समाज से वंचित वर्गों को शिक्षा एवं समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम अब तक जारी हुए हैं किंतु समाज से वंचित ट्रांसजेंडर वर्ग को प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थान दिया गया है। प्रस्तुत पत्र समाज के वंचित वर्गों के लिए विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित प्रावधानों का अध्ययन करता है। शोध पत्र आगे समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सुझावों एवं प्रयासों का विश्लेषण करता है। समावेशी शिक्षा समावेशी समाज का निर्माण करती है और ऐसा निष्कर्ष प्राप्त होता है कि पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिक्षा हेतु एक नया प्रयास अब तक आई हुई शिक्षा नीतियों में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। यह शिक्षा नीति निश्चित ही समाज में इनकी स्थिति को बेहतर बनाने में प्रयास करेगी।

मुख्य शब्द- समावेशी शिक्षा, ट्रांसजेंडर, वंचित समूह, प्राथमिक स्तर ।

1. प्रस्तावना -

मानव की प्रगति मात्र उसके शारीरिक विकास से संबंधित नहीं होती है उसकी प्रगति उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारको पर भी निर्भर करती है।अतः मात्र शारीरिक विकास को मानव का विकास कहना उचित नहीं है प्रत्येक मानव राष्ट्र के लिए समान है और उसे राष्ट्र में सभी के बराबर सम्मान व सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है और इस समय में प्रत्येक राष्ट्र के सम्मुख अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चुनौती है। बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्रों के संसाधनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है इस परिदृश्य में आवश्यकता है कि मानव को राष्ट्र के विकास हेतु इस प्रकार तैयार करने की कि वह आर्थिक प्रगति में सहायक हो सके जो कि शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।अनादि काल से यह उक्ति प्रचलित है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस कथन का उल्लेख पुनः किया गया है कि शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है और यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्वीकार किया गया है कि समतामूलक और समावेशी शिक्षा न केवल स्वयं में आवश्यक लक्ष्य है अपितु समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने सपने संजोने विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)।अर्थात यह स्पष्ट होता है कि अब तक पहले बनाई गई शिक्षा नीतियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और अन्य योजनाएं जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान आदि इस कार्य में अपना या तो प्रभावी योगदान न दे सकी हैं या फिर समावेशी शिक्षा हेतु इनमें उचित परिकल्पना ही न बनाई गई हों जो कि साकार हो । समावेशी शिक्षा का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ किंतु इस विचार को समाज में पहले स्वीकार ही नहीं किया गया और 1974 में समेकित बाल विकास योजना से शुरू हुआ कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 45 (14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा) को जोड़ने तक अग्रसर रहा और समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सामान्य बालकों के साथ दिव्यांग बालकों की शिक्षा तक सीमित कर दिया गया (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)।

उद्देश्य- शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य है-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व समाज के वंचित वर्ग विशेष रूप से ट्रांसजेंडर वर्ग की स्थिति का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत समावेशी शिक्षा के लिए किए गए प्रावधानों का अध्ययन करना।
3. समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सुझाव एवं प्रयास।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समाज के वंचित वर्ग विशेष रुप से ट्रांसजेंडर-

एक उचित कदम या पहल के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वंचित वर्ग को कुछ और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि एक सराहनीय प्रयास है जिसमें वंचित वर्ग में मात्र दिव्यांग बालकों को शामिल न कर ट्रांसजेंडर और भ्रमण सेल बालकों को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात की पुष्टि करती है कि स्कूल शिक्षा में पहुंच,सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य होगा। इसी संबंध में उच्च शिक्षा हेतु भी

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)

e-ISSN : 2583-1062

Impact Factor: 5.725

www.ijprems.com
editor@ijprems.com

Vol. 04, Issue 05, May 2024, pp: 814-817

प्रयास बताए गए हैं किंतु यह पहुंच किस तरह से संभव होगी इस पर विचार अपूर्ण है। शिक्षा की पहुंच या शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक कि हमें बालक की आवश्यकता व उसकी पृष्ठभूमि के बारे में ज्ञान न हो इस हेतु सर्वप्रथम अध्यापक को चाहिए कि वह अपने विद्यार्थी को जाने और जब एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को ठीक से जानेगा तभी वह अपने विद्यार्थी की असमर्थताओं को पहचान सकेगा जिसे वह दूर करने हेतु क्रियाएं करेगा। इसके साथ ही जेंडर को लेकर यह बात पूर्णता स्पष्ट नहीं होती है (प्राथमिक स्तर) कि ट्रांसजेंडर को वंचित जेंडर के अंतर्गत रखा गया है जोकि पूर्व की भांति मात्र महिला की ओर इंगित करेगा। पूर्व के अध्ययन जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित सौदों में वंचित जेंडर से तात्पर्य मात्र महिला को लेकर संदर्भित कर शोध कार्य हुए हैं अतः ट्रांसजेंडर को इसमें पृथक उल्लेखित करना चाहिए था और इनकी शिक्षा का कोई विशेष प्रारूप तैयार नहीं किया गया है। यदि हम मान भी लें कि वंचित वर्ग में ट्रांसजेंडर को सम्मिलित कर इसे रखा गया है तो ट्रांसजेंडर वर्ग हेतु क्या नया उपक्रम लागू होगा? साथ ही किस प्रकार का अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? प्राथमिक स्तर भले ही शिक्षा के लिए सबसे निम्नतम स्तर होता है किंतु सबसे ज्यादा देखरेख व पहचान की आवश्यकता इसी स्तर पर होती है। अतः इस स्तर के अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण व विशिष्ट संसाधनों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वह प्राथमिक स्तर पर ही बालकों को समझ सकें और प्रत्येक बालक को एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाएं और एक-दूसरे के प्रति परानुभूति अनुभव कर सकें और इस हेतु भी तैयार करें कि बालकों में प्रारंभ से ही एक-दूसरे के प्रति सम्मान (लिंग के प्रति) दे सकें। इस शिक्षा नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है और नामांकन में यह गिरावट सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों(SEDG) में अधिक है और विशेषकर इन SEDG की महिला विद्यार्थियों के संदर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में SEDG के नामांकन में यह गिरावट और अधिक है। इसी संदर्भ में शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (U-DISE ,2016-17) के आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3% हो गया है। नामांकन में यह गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों (10.6% से 6.8%) और दिव्यांग बच्चों (1.1% से 0.25%) के लिए अधिक गंभीर है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में छात्रों के लिए नामांकन में और भी अधिक गिरावट आई है और उच्चतर शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है।(राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षा-

इसी की अन्य दिशा पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति-रिवाजों ,प्रथाओं और भाषा सहित अनेक विभिन्न कारणों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रति धारण की दरों पर आज भी कोई सार्थक परिणाम दृष्टिगत नहीं हैं। साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को बताकर कहीं न कहीं पिछली नीतियों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस शिक्षा नीति ने स्वयं ही लगा दिया है जो कि यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि समाज से उपेक्षित वर्ग शिक्षा के किस स्तर पर होगा और शिक्षा की पहुंच तक उसे कितने कठिन संघर्ष को पार करके गुजरना होगा। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा नीति में स्वयं यह उल्लेखित किया गया है कि स्कूल और उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है और इन वर्गों के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप के महत्व को स्वीकार करती है। साथ ही यह नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के समान अवसर हेतु सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को पहचानती है किंतु ऐसे किसी तंत्र का इस शिक्षा नीति में प्रयोग को लेकर उल्लेख नहीं है। इस शिक्षा नीति में जहां लक्षित छात्रवृत्ति माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करने आदि जैसी सफल नीतियां और योजनाएं चलाई गई है जिससे कुछ क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा प्रणाली में भागीदारी बढ़ी है और इस बात को इस शिक्षा नीति में स्वीकार भी किया गया है कि इस तरह की योजनाएं संपूर्ण देश में सुदृढ़ रूप से लागू नहीं है जिसके लिए भी सुदृढ़ व सार्वभौमिकता हेतु प्रयास करने की अत्यंत आवश्यकता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)। इस शिक्षा नीति में सभी बालिकाओं सहित ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक "जेंडर समावेशी निधि" के गठन करने की बात का उल्लेख मिलता है किंतु इन वर्गों की शिक्षा हेतु शैक्षिक स्तर के अन्य प्रयास जैसे कि आवासीय विद्यालय, अन्य छात्रवृत्ति, खेलकूद आदि की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मात्र कोई निधि प्राप्त करने वाली संस्था बना देने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इन सभी वर्गों तक शिक्षा की पहुंच हो ही जाएगी। इसके लिए कड़े प्रावधान होने चाहिए और हो सके तो विशिष्ट वर्गों हेतु अधिक प्रतिशत वाले आरक्षित आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए क्योंकि जो वर्तमान में सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति हैं वह मात्र फॉर्म भरवाने तक ही सुचारू रूप से संचालित होती हैं और उसके पश्चात आवंटन के समय फंड की कमी बताकर स्थगित कर दी जाती हैं और तब तक छात्र अन्य कक्षा में पहुंचकर उसका आवेदन कर देता है और इस प्रकार छात्र मात्र छात्रवृत्ति फॉर्म भरकर विद्यालय व समाज कल्याण विभाग के ही इर्द-गिर्द घूमता रहता है और अपने अध्ययन कार्य से भी दिगभ्रम हो जाता है अतः छात्रवृत्तियां यदि अनिवार्य रूप से बांटी जाएं तभी फॉर्म भरवाए जाएं अन्यथा भ्रम पैदा नहीं किया जाना चाहिए। वैसे तो विशेष वर्ग के लिए छात्रवृत्ति उसे उसके प्रवेश के समय ही दे देनी चाहिए ताकि वह समय पर उसका उपयोग कर सकें। इस शिक्षा नीति में लैंगिक संवेदनशीलता एवं अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के साथ उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)

e-ISSN : 2583-1062

Impact Factor: 5.725

www.ijprems.com
editor@ijprems.com

Vol. 04, Issue 05, May 2024, pp: 814-817

बेहतर बनाने की बात कही गई है। जिसका कि मात्र एक उपाय है कि प्रत्येक प्राणी को समान रूप से समाज में सम्मान मिले न कि लैंगिक आधार पर आलोचना।(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)

उपरोक्त सभी नीतियों और उपाय सभी SEDG के लिए पूर्ण समावेश और समता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तो है किंतु पर्याप्त नहीं। यह कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अपूर्णता अथवा शेषतः को इंगित करता है जबकि प्रयास यह होना चाहिए था कि हम पहले मजबूत तंत्र स्थापित करने की बात को प्रभावी करते फिर यदि कोई अपूर्णता सारगर्भित होती तो आगामी शिक्षा नीति अथवा प्रयासों के माध्यम से इन्हें दूर किया जाता। वहीं दूसरी ओर स्वयं शिक्षा नीति में यह भी उल्लेखित किया गया है कि अब स्कूलों की संस्कृति में परिवर्तन होना चाहिए। यह वास्तव में अति विचारणीय है।(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)।

2. समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सुझाव एवं प्रयास-

- सर्वप्रथम तो यह तैयार करना होगा कि जन्म के बाद ही बच्चे को किस तरह के पर्यावरण में रखा जाए क्योंकि हमारा सामाजिक पर्यावरण ही भेदभाव की जननी है। चाहे वह सामाजिक, आर्थिक हो या लैंगिक भेदभाव। इसलिए हमें एक स्वस्थ मानसिकता वाले समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है ताकि वंचित शोषित वर्गों का पुनर्वास कर समावेशी समाज का निर्माण हो सके।
- समावेशी शिक्षा हेतु न केवल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है अपितु लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कुछ ऐसे नियम कानून भी बनाने चाहिए जो कि वंचित वर्ग (विशेष कर दिव्यांग महिला तथा ट्रांसजेंडर) के उपहास या उनके शैक्षिक वातावरण में भेदभाव करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो ताकि उनके साथ भेदभाव करने से पूर्व ही कोई भी व्यक्ति कई बार सोचने पर विवश हो।
- समावेशी शिक्षा हेतु समावेशी सहभागिता आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक- रूपांतरण आदि प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बालकों में एक-दूसरे लिंग के व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो सके।
- समावेशी शिक्षा हेतु लैंगिक मुद्दों पर ऐसी प्रेरणात्मक व सीखपरक कहानियां पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ही जोड़ी जानी चाहिए ताकि बचपन से ही बालकों में एक परिदृश्य तैयार हो सके। जैसे कि एनसीईआरटी द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मीना मंच संचालित किया जाता है ऐसे ही ट्रांसजेंडर एवं अन्य वंचित वर्गों के लिए भी कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए।
- समावेशी शिक्षा हेतु अध्यापकों को विशिष्ट प्रशिक्षण भी देना चाहिए। इन शिक्षकों में मातृत्व भाव का होना आवश्यक है क्योंकि जब तक शिक्षक व बालक के बीच अंत:क्रिया नहीं होगी तब तक शिक्षक अपने बालक की क्षमताओं व अक्षमताओं को नहीं जान सकेगा। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह पहले बालक से भावात्मक रूप से जुड़े फिर अपने शिक्षण कार्य में आगे बढ़े।
- समावेशी शिक्षा हेतु प्रत्येक गतिविधि में बालकों का मनोबल बढ़ाने वाले कार्य कराए जाएं और उन्हें सुविधा प्रदान की जाए।
- समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवासीय विद्यालय खोले जाएं और प्रत्येक लिंग का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टाफ को नियुक्त किया जाए।
- मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि आवासीय विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश व अन्य सुविधाएं दी जाएं और 20% के आवंटन के साथ सभी वर्गों(सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ट्रांसजेंडर) को प्रवेश दिया जाए और यदि संभव हो सके तो प्राथमिक स्तर से ही ऐसा किया जाए तो और भी अच्छा होगा।
- ऐसे वर्ग जो कि शिक्षा से बिल्कुल ही वंचित है जैसे कि अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर को बिना किसी प्रतिशत अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति अनिवार्य रूप से दी जाए क्योंकि यह बच्चे आर्थिक दबाव के कारण भी शिक्षा प्राप्त करने से भागते हैं।

3. निष्कर्ष-

अतः निष्कर्ष रूप में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि समावेशी समाज के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और समाज जो कि यदि प्रतिज्ञा कर ले तो बड़े से बड़े नियम और कानून बिना किसी लिखित दस्तावेज के लागू कर देता है, वह भी प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय और समता प्रदान कर सकता है और सभी वर्गों की शिक्षा हेतु स्वप्रेरक बन समावेशी समाज का निर्माण कर सकता है जिससे कि न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य पूर्ण होंगे अपितु समावेशी शिक्षा तथा शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य भी पूरे होंगे और वंचित वर्ग जो कि स्वयं को ही कुंठा से ग्रसित रखते हैं आत्मनिर्भरता के साथ आत्मविश्वास की भावना की जागृति के साथ राष्ट्र की प्रगति में सहायक बन सकते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ट्रांसजेंडर समुदाय को पृथक से वर्णित नहीं किया गया है और उनकी शिक्षा के लिए पृथक से प्रावधान नहीं किए गए हैं परंतु सरकार ने वंचित वर्गों के लिए प्रावधान किए हैं और पहली बार किसी सरकार ने शिक्षा नीति में ट्रांसजेंडरों को स्थान दिया है और इन्हें वंचित वर्ग में शामिल किया है। यह भविष्य के लिए एक सार्थक पहल है और हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि भविष्य में ट्रांसजेंडर वर्ग भी समान रूप से समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

4. संदर्भ ग्रंथ सूची-

[1] NCERT,(2005). NATIONAL CURRICULUM FRAMEWORK 2005. Retrieved DEC,2023, from hindi.pdf (ncert.nic.in)

[2] Panigrahi, S. P., & Malik, N. (2020). Multidisciplinary Educational Approaches-NEP 2020. Juni Khyat,10(10),41-47.Retrieved DEC,2023,From https://www.researchgate.net/publication/346937469_A_Roadmap_to_Inclusive_Education_in_NEP2020

[3] MHRD, (2020). National Education Policy - 2020 (NEP 2020). Retrieved DEC, 2023, From NEP_final_HINDI_0.pdf (education.gov.in)

[4] Shinde, G. (2021). Multidisciplinary Educational Approaches-NEP 2020. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 8(64). https://www.researchgate.net/publication/358356636_Multidisciplinary_Educational_Approaches-NEP_2020

[5] Gonmei, M., Pk, A., Pradhan, R., & Gurramkonda, B. (2023). TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION IN INDIA: AN IN-DEPTH ANALYSIS OF NEP 2020 AND ITS CHALLENGES. The Ravens haw Journal of Educational Studies, 12((1)), 72-79.TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION IN INDIA: AN IN-DEPTH ANALYSIS OF NEP 2020 AND ITS CHALLENGES (researchgate.net)